II – 157
C. J.

Witness No. 8 for अभियोजन साक्षी Deposition taken the 5 जनवरी day of 2024 Witness's apparent age 28 वर्ष

States on affirmation शपथपपूर्वक my name is **दीपक प्रजापति**

S/W of मनीराम प्रजापति occupation कृषि

address ग्राम बलौदा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर–चांपा छ.ग.

समय 15:22 बजे से 16:12 बजे तक

मुख्य परीक्षण द्वारा श्रीमति विजय लक्ष्मी सोनी अतिरिक्त लोक अभियोजक

1/ मैं व्ही.सी.के माध्यम से उपस्थित आरोपी टेंगना पांणे को जानता हूं। वह मेरे बड़े पापा का बेटा है। मैं मृतक सत्यम कोल, तथा आहत रामकुमार कोल को भी जानता हूं। वे लोग मेरे ट्रेक्टर में मजदूरी का काम करते थे।

2/ घटना दिनांक 18–06–2022 की है। घटना के कुछ दिन पहले मैं, रामकुमार और सत्यम ईंटा भटठा तरफ से घर की ओर जा रहे थे तब रास्ते में अभियुक्त टेंगना मिला तो वह बोला कि वह हम लोगों को एक दिन दारू पिलायेगा क्योंकि उसके भ टठे से हम लोगों का काम पूरा हो गया है, तब हम लोग ठीक है कहकर अपने अपने घर चले गये। दिनांक 16–06–2022 को आरोपी टेंगना मुझे फोन कर बोला कि तुम कहां हो, तुम लोगों को दारू पिलाउंगा बोला था आ जाओ पिलाउंगा। तब मैं बोला कि अभी समय नहीं है। उसके बाद दिनांक 18–06–2022 को शाम छः बजे बलौदा के पैकहा डबरी के पास देशी शराब के दो पउवा वाले शीशी को जिसमें शराब भरा हुआ था, आरोपी टेंगना अपने चडडे से निकालकर कर रामकुमार उर्फ मिथुन को दिया। उस समय रामकुमार बोला कि तुम शराब दिये हो तो इसे हम लोग अकेले नहीं पियेंगे, तुम भी रूको एक साथ पीते है। तब टेंगना मैं नही पिउंगा कहकर बार बार नही पीउंगा बोल रहा था और शराब देकर वहां से चला गया। वहीं पर बोड़ो के दुकान से रामकुमार डिस्पोजल, स्प्राइड और फल्ली दाना खरीदा । उसके बाद मैं और रामकुमार सत्यम के घर तरफ चले गये। सत्यम उस समय गुडडा के घर के पास खड़ा था। मेरे मोटरसायक में मैं, रामकुमार और सत्यम तीनों बैठे और नारायण के ईंट भटठा के पास आम पेड़ के नीचे बैठे। टेंगना द्वारा दिये गये दो शराब की शीशी से एक शीशी को रामकुमार ने खोला और एक शीशी को मैं खोला। मैं रामकुमार को बोला इसमें से गंध आ रहा है, इसे मत पिओ, तब रामकुमार बोला ये ब्लेक का दारू है इसलिये गंध आ रहा है कहकर एक पाव को अपने डिस्पोजल में रामकुमार डाला और आधा को सत्यम के डिस्पोजल में डाला। रामकुमार अपने डिस्पोजल को पहले पिआ उसके बाद सत्यप अपने डिस्पोजल को पिया। जैसे मैं पीने वाला था, उसी समय सत्यम बोला कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है कहकर तुरंत खड़ा हुआ और गिर गया। रामकुमार लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने घर चला गया।

3/ उस समय उस रास्ते नंदु और रमेश आ रहे थे, जिसे मैं बुलाया और सत्यम को उनकी मदद से

अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में जांच करने के बाद सत्यम को मृत होना बताया। रामकुमार को अस्पताल गोपी लेकर आया था, जिसका प्राथमिक उपचार बलौदा अस्पताल में होने के बाद उसे जिला चिकित्सालय जांजगीर रिफर किये थे। आरोपी टेंगना ने शराब में जहर मिलाकर शराब की शीशी दिया था जिसके सेवन से सत्यम की मृत्यु हुई है। रामकुमार मरते मरते बचा है। सत्यम और रामकुमार पहले टेंगना के ईंट भटठे में काम करते थे और उसके काम को छोड़कर मेरे पास काम कर रहे थे इसलिये उन्हें उक्त शराब दिया था। पुलिस वाले मुझसे पुछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

<u>परीक्षण द्वारा श्री राजीव दुबे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

4/– यह कहना सही है कि आरोपी मेरा सगा चचेरा भाई है। यह कहना सही है कि आरोपी भी ईंट भटठे का काम करता है और मैं भी ईंट भटठे का काम करता हूं। मैं नहीं जानता कि आरोपी का ईंट भटठा मेरे भटठे से ज्यादा चलता है या नहीं। यह कहना गलत है कि आरोपी के यहां सत्यम एवं रामकुमार काम करते थे जिन्हें मैं अपने यहां काम करने के लिये बुलवाया था। यह कहना गलत है कि ईंट भटठे के काम में लेबर की कमी रहती है। मैं स्थानीय मजदूर रखता हूं। यह कहना सही है कि ईंट भटठा में काम करने के लिये मजदूर को ज्यादा पैसा मिलता है तो वे दूसरे भटठे में चले जाते हैं। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि तुमने रामकुमार और सत्यम को ज्यादा पैसा दिये थे इसलिये तुम्हारे पास काम करने आये थे। इस पर साक्षी का कहना है कि आरोपी टेंगना उन्हें काम से छुड़ा दिये थे इसलिये मेरे पास काम करने आये थे। यह कहना सही है कि दो भटठे में से मजदूर एक को छोड़कर दूसरे के पास चले जाने पर दोनों भटठे वालों में ईर्ष्या आ जाती है।

5– यह कहना सही है कि मैं, रामकुमार तथा सत्यम शराब पीते थे। मैं दिनांक 16–08–2022 को अस्पताल में जाकर रामकुमार कोल को भर्ती किये जाने संबंधी कोई लिखापढ़ी नहीं किया था। मैं सत्यम को अस्पताल लेकर गया था किंतु अस्पताल में कोई हस्ताक्षर नहीं किया था। यह कहना सही है कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिये वहां पर कागजी कार्यवाही होती है। सत्यम को भर्ती कराने संबंधी कागजी कार्यवाही उसके घर के लोग किये है, मैं नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैं सत्यम को अस्पताल में ले जाकर बाहर ही रखा था और उनके घर वालों के आने का इंतजार करता रहा। स्वतः कथन है कि रास्ते में ही सत्यम और रामकुमार का घर है, वे लोग भी मेरे साथ अस्पताल आ गये थे।

6– मैं पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि ''रास्ते में ही सत्यम और रामकुमार का घर है, वे लोग भी मेरे साथ अस्पताल आ गये थे।'' यदि उक्त बात मेरे पुलिस कथन में न लिखी हो तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता। आज मुझे आरोपी का फोन नंबर नहीं याद नहीं है लेकिन जिस समय मुझे फोन किया था उस समय मेरे फोन में उसका नंबर लोड था। यह कहना गलत है कि आरोपी ने मुझे दारू पीने के लिये कभी भी फोन नहीं किया था। मैं राजकुमार के साथ बलौदा अस्पताल से जांजगीर अस्पताल में भर्ती होते तक उसके साथ था, उसके बाद अपने

घर चला गया। यह कहना सही है कि एक आदमी एक दिन में एक ही जगह पर रह सकता है। यह कहना सही है बलौदा और जांजगीर अस्पताल में से कहीं भी मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किया था।

7– यह कहना सही है कि मेरे विरूद्ध पाक्सो न्यायालय में एक दस वर्षीय लड़की का बलात्कार करने का मामला चल रहा है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि पीड़िता आरोपी की भांजी है इस पर साक्षी का कहना है वह मेरी भी भांजी है। यह कहना सही है कि जिस शराब की शीशी से शराब सत्यम और राजकुमार ने पिया उसमें से मैं नहीं पिया था। साक्षी से यह पूछे जाने पर रामकुमार ने थोड़ी मात्रा में शराब पिया था बाकी को छोड़ दिया था इस पर साक्षी का उत्तर है कि वह पूरी शराब को पिया था। यह कहना गलत है कि मैं और रामकुमार नरेन्द्र देवांगन के घर के सामने बैठकर शराब पी रहे थे। यह कहना गलत है कि उस दिन हम लोग सत्यम को बुलाकर लाये थे। साक्षी स्वतः कहता है कि वह अपने मामा के घर के पास खड़ा था, जिसे साथ लेकर गये थे। यह कहना गलत है कि सत्यम को उस पीड़िता लड़की के संबंध में मेरे कुकृत्य के बारे में जानकारी हो गई थी इसलिये मैं और रामकुमार,सत्यम को मारने के लिये उसे जबरन शराब पिलाये थे । यह कहना गलत है कि हमें शराब में जहर मिले होने की जानकारी के कारण मैंने स्वयं से होकर शराब नहीं पिया था और रामकुमार ने कम मात्रा में शराब का सेवन किया था।

8– यह कहना सही है कि घटना दिनांक से लेकर मेरा पुलिस में बयान होने के बीच घटना के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं दिया था और न ही स्वयं से होकर कोई शिकायत किया था। यह कहना गलत है कि आरोपी से मेरी व्यवसायी प्रतिद्वंता होने के कारण उसे इस मामले में फंसाने के लिये असत्य कथन कर रहा हूं। यह कहना गलत है कि आरोपी टेंगना ने हम लोगों को कोई शराब की शीशी नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि आरोपी ने कभी शराब पिलाने के लिये हम लोगों से कोई वादा नहीं किया था।

वाचित, सही स्वीकृत

ANIL KUMAR BARA Digitally signed by ANIL KUMAR BARA

(अनिल कुमार बारा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर
जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

ANIL KUMAR BARA Digitally signed by ANIL KUMAR BARA

(अनिल कुमार बारा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर
जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

–